

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी:-गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 82/2019 (2019/00040) प्रार्थना पत्र  
उनवान

- 1-लादुलाल पिता प्यारा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-नानुराम पिता प्यारा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

### बनाम

- 1-गोपाल पिता रूपा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 2-रतन पिता रूपा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 3-कन्हैयालाल पिता रूपा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 4-नारायण पिता रूपा माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 5-देऊ पुत्री रूपा माली पत्नि मोहन माली नि0 बागोर तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर -

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या 01 के खातदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4738/2417 रकबा 0.04 हे0, एवं प्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 4739/2417 रकबा 0.04 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 0.08 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 790 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास काटने मवेशी वगैरा चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाने हेतु कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 12.06.2019 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 12.06.2019 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 13.06.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 03 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। एवं विपक्षी संख्या 4 व 5 के विरुद्ध प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

### आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी संख्या 01 के खातदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 4738/2417 रकबा 0.04 हे०, एवं प्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 4739/2417 रकबा 0.04 हे० भूमि कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.08 हे० भूमि राजस्व खाता संख्या 790 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रुपये 100/- अक्षरे सौ रुपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/- अक्षरे पांच सौ रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।

  
गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
गोविन्द सिंह

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा